2013:CGHC:1551

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

एकल पीठ : माननीय श्री संजय के. अग्रवाल न्यायाधीश

एम. ए. (सी) क्रमांक 519 सन् 2012

अपीलार्थी : द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण : नोहर जोशी एवं अन्य

तथा

एम. ए. (सी) क्रमांक 520 सन् 2012

अपीलार्थी : द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण : श्रीमती सुखिया बाई एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध अपील अंतर्गत धारा 173 मोटर यान अधिनियम, 1988

उपस्थित :

श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से दोनों अपीलों में।

श्री आर. एस. पटेल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी(स्वामी) की ओर से दोनों अपीलों में।

श्री एस. एस. राजपूत, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 की ओर से एम.ए.(सी) क्रमांक 520/2012 में।

प्रत्यर्थी चालक की ओर से कोई उपस्थित नहीं, यद्यपि नोटिस तामील की जा चुकी है।

आदेश

(17.10.2013)

संजय के.अग्रवाल, न्यायाधीश

(1) ये दोनों अपीलें – एम.ए.(सी) क्रमांक 519 एवं 520 सन् 2012, जो अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं जो एक ही दुर्घटना दिनांक 08.03.2010 से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें समान वाहन (स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर), जो अपीलार्थी/कंपनी द्वारा बीमित था, संलिप्त था; अतः इन दोनों अपीलों का निराकरण इस संयुक्त आदेश द्वारा किया जा रहा है।

(2) संक्षिप्त तथ्य, जो इन दोनों अपीलों के निस्तारण हेतु आवश्यक है निम्नानुसार हैं–

(2.1) दोनों दावा प्रकरणों (क्रमांक 235 एवं 234 सन् 2011) में किए गए प्रककथनों के अनुसार, दिनांक 08.03.2010 को प्रातः लगभग 10:00 बजे, नोहर जोशी (घायल) पराऊ राम जोशी (मृतक) के साथ साइकिल से ग्राम सिंगारभाठा की ओर जा रहा था। मार्ग में, अनावेदक क्रमांक 1 (सनत कुमार सेन), उक्त दुर्घटना कारित करने वाला वाहन (स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन, जिसका चेसिस क्रमांक ए.आर..जी.ओ. 2008-11-280 एवं इंजन क्रमांक एस.433/ए05152 है) को उतावलापुर्वक एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए साइकिल से टकरा गया। उक्त दुर्घटना में, पराऊ राम जोशी को लगी चोटों के कारण घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई, जबकि नोहर जोशी को दोनों पैरों, सिर, कमर तथा हाथों में गंभीर चोटें आईं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2.2) सुसंगत समय पर, अनावेदक क्रमांक 1 (सनत कुमार सेन) वाहन का चालक था, अनावेदक क्रमांक 2 (विजय कुमार मिश्रा एंड कंपनी) वाहन का स्वामी था, तथा वर्तमान अपीलार्थी (द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी) उक्त अपकृत्यकारी वाहन (स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन, चेसिस क्रमांक ए.आर..जी.ओ 2008-11-280 एवं इंजन क्रमांक एस.433/ए05152) का बीमाकर्ता था।

(2.3) आवेदक नोहर जोशी ने दावा प्रकरण क्रमांक 235/2011 (नोहर जोशी बनाम सनत कुमार सेन एवं अन्य) द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत, दुर्घटना में उसे हुई चोटों के लिए ₹8,24,000/- के प्रतिकर की मांग करते हुए दावा प्रस्तुत किया गया। दावा अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने के उपरांत, कुल ₹75,456/- की राशि 7.5% वार्षिक ब्याज सहित प्रदान की तथा अपीलार्थी/बीमा कंपनी को उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी ठहराया।

(2.4) दावाकर्तागण श्रीमती सुखिया बाई एवं अन्य ने दावा प्रकरण क्रमांक 234/2011 (श्रीमती सुखिया बाई एवं अन्य बनाम सनत कुमार सेन एवं अन्य) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा

166 के अंतर्गत, दुर्घटना में पराऊ राम जोशी की मृत्यु के कारण ₹5,40,000/- के प्रतिकर की मांग करते हुए प्रस्तुत किया। दावा अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात, कुल ₹1,59,000/- की राशि 7.5% वार्षिक ब्याज सहित प्रदान की तथा अपीलार्थी/बीमा कंपनी को उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी ठहराया।

(2.5) दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के स्वामी एवं चालक ने दावा अधिकरण के समक्ष अपना लिखित कथन (जवाबदावा) प्रस्तुत कर दावा याचिका का विरोध किया। अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने भी पृथक रूप से अपना लिखित कथन(जवाबदावा)प्रस्तुत करते हुए, अन्य बातों के साथ यह कथन किया कि उक्त वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, क्योंकि चालक के पास उक्त वाहन चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तत्पश्चात, संशोधन के माध्यम से एक अतिरिक्त अभिवाक अपने लिखित कथन में प्रस्तुत किया, यह कहा गया कि उक्त दुर्घटना कारित करने वाला वाहन (स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन, चेसिस क्रमांक ए.आर..जी.ओ. 2008-11-280 एवं इंजन क्रमांक एस.433/ए05152) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2(28) के अर्थ में 'मोटर यान' नहीं है; अतः मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते, और इस प्रकार विरचित एवं प्रस्तुत की गई दावा याचिका दावा अधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं है तथा दावाकर्तागण के लिए उक्त उपयुक्त उपचार सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय के समक्ष सिविल वाद प्रस्तुत करना था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2.6) माननीय दावा अधिकरण ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करने के पश्चात यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का तथ्य अभिलेख पर सिद्ध नहीं हुआ है, तथा आगे यह भी निष्कर्ष अभिलिखित किया कि स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2(28) के अंतर्गत 'मोटर यान' है; अतः दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दावा याचिकाएँ पोषणीय हैं।

(3) अपीलार्थी/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सुधीर अग्रवाल ने यह निवेदन किया कि उक्त दुर्घटना कारित करने वाला वाहन (स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2(28) के अर्थ में 'मोटर यान' नहीं है, और इस कारण मोटर यान अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते; फलस्वरूप दोनों दावा प्रकरण दावा अधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं थे। उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि उक्त पॉलिसी कंपनी द्वारा मशीन (स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर) के उद्देश्य से जारी की गई थी।

(4) दूसरी ओर, दावाकर्तागण के अधिवक्ता श्री एस. एस. राजपूत ने यह निवेदन किया कि माननीय दावा अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन (स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन) एक "निर्माण उपकरण वाहन" है, न्यायसंगत एवं उचित है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने तृतीय पक्ष जोखिम के लिए प्रीमियम स्वीकार किया है, अतः दावा अधिकरण द्वारा बीमा कंपनी पर दायित्व आरोपित करना विधिसंगत है।

(5) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा दावा अधिकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया।

(6) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2(28) के अंतर्गत 'मोटर यान' की परिभाषा इस प्रकार है–

"2. **परिभाषाएँ**– इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(28) 'मोटर यान' अथवा 'यान' से अभिप्राय ऐसे किसी भी यांत्रिक रूप से संचालित वाहन से है, जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित हो, चाहे उसकी शक्ति बाह्य या आंतरिक स्रोत से संचरित होती हो, तथा इसमें वह चेसिस भी सम्मिलित है, जिस पर अभी तक बॉडी स्थापित नहीं की गई है, तथा ट्रेलर भी सम्मिलित है; परंतु इसमें रेल की स्थिर पटरियों पर चलने वाला वाहन, या ऐसा विशेष प्रकार का वाहन जो केवल कारखाने अथवा किसी अन्य परिसीमित परिसर में उपयोग के लिए अनुकूलित हो, अथवा ऐसा वाहन जिसमें चार से कम पहिए लगे हों तथा जिसका इंजन क्षमता पच्चीस घन सेंटीमीटर से अधिक न हो, सम्मिलित नहीं है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 12, 27, 64, उपधारा (14) अथवा धारा 88, तथा धारा 110, 137, 164 एवं 208 को धारा 211 के साथ पढ़े जाने पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 बनाए। उक्त 1989 के नियमों के नियम 2 में 'परिभाषाएँ' प्रदान की गई हैं। नियम 2 के उप-नियम (सीए) में 'निर्माण उपकरण वाहन की परिभाषा दी गई है, जिसका अर्थ "स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर" अथवा कोई अन्य निर्माण उपकरण वाहन है। केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियमों के नियम (सीए) तथा (एच) निम्नानुसार उद्धृत किए जाते है

"2. **परिभाषाएँ**– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(सीए) 'निर्माण उपकरण वाहन' से अभिप्राय ऐसे रबर-टायरयुक्त (जिसमें वायवीय टायर भी सम्मिलित हैं), रबर-पैडयुक्त या स्टील ड्रम पहियों से युक्त, स्व-चालित उत्खनक , लोडर, बैकहो,कम्पेक्टर रोलर, डम्पर, मोटर ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, डोज़र, फोर्क-लिफ्ट ट्रक, स्व-लोडिंग

कंक्रीट मिक्सर अथवा अन्य कोई निर्माण उपकरण वाहन, या इनके संयोजन से है, जिन्हें खनन, औद्योगिक कार्य, सिंचाई तथा सामान्य निर्माण कार्यों में ऑफ-हाईवे संचालन हेतु अभिकल्पित किया गया हो, परंतु जिन्हें “ऑन अथवा ऑफ” अथवा “ऑन एंड ऑफ” हाईवे क्षमताओं के साथ संशोधित एवं निर्मित किया गया हो।

स्पष्टीकरण– निर्माण उपकरण वाहन एक गैर-परिवहन वाहन होगा, जिसका सड़क पर संचालन उसके मुख्य ऑफ-हाईवे कार्य के परिपूरक के रूप में तथा अल्प अवधि के लिए, अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से होता है; तथापि ऐसे वाहन में वे अन्य पूर्णतः ऑफ-हाईवे निर्माण उपकरण वाहन सम्मिलित नहीं होंगे, जो किसी परिसीमित परिसर, कारखाने अथवा खदान में उपयोग हेतु अभिकल्पित एवं अनुकूलित हों, और जो सड़क नेटवर्क के अतिरिक्त अन्यत्र उपयोग हेतु हों तथा सार्वजनिक सड़कों पर स्व-शक्ति से चलने के लिए सुसज्जित न हों।

(एच) ‘गैर-परिवहन वाहन से अभिप्राय ऐसे मोटर यान से है, जो परिवहन यान नहीं है।”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रतिवेदित निर्णय **2013 (7) एस सी ए अल ई 230 (चेयरमैन राजस्थान स्टेट ट्रांसपोस्ट कॉरपोरेशन वगैरह बनाम श्रीमती संतोष वगैरह)** में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है–

“28. यह प्रश्न कि कोई विशेष वाहन, अधिनियम की धारा 2(28) के अंतर्गत ‘मोटर वाहन’ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या नहीं, प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें वाहन के उपयोग तथा उसके सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त होने की क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा। एक बार यह स्थापित हो जाए कि वह वाहन सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त है, तब यह अप्रासंगिक हो जाता है कि वह सार्वजनिक सड़क पर चलता है या निजी सड़क पर, क्योंकि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए वास्तविक उपयोग, उसकी संज्ञा निर्धारित करने का मानदंड नहीं है। ‘मोटर यान’ की परिभाषा के दायरे में डम्पर एवं ट्रैक्टर भी आते हैं। ट्रैक्टर, जो मुख्यतः कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, तथा डम्पर, जो कारखाना परिसर में उपयोग किया जाता है, यदि सड़क पर उपयोग के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैं, तो वे धारा 2(28) के अंतर्गत ‘मोटर यान’ की परिभाषा की आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। अधिनियम की धारा 2(28) में प्रयुक्त ‘केवल’ शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपवाद केवल उन्हीं वाहनों तक सीमित है, जो विशेष रूप से केवल कारखाने अथवा किसी परिसीमित परिसर में उपयोग के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः ऐसा वाहन, जो सड़क पर उपयोग के लिए अनुकूलित नहीं है, केवल वही अपवर्जित होगा।”

(9) नियम, 1989 के नियम 2(सीए) के स्पष्टीकरण तथा उपर्युक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए, 'निर्माण उपकरण वाहन' तथा 'गैर-परिवहन वाहन' की परिभाषाओं के साधारण अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि कंक्रीट मिक्सर एक निर्माण उपकरण वाहन है, जो केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के 2(एच) के अंतर्गत एक गैर-परिवहन यान के अंतर्गत आता है ।

(10) उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को किसी कारखाने अथवा गोदाम से शुल्क के भुगतान पर हटाने हेतु जारी किया गया कर चालान (प्रदर्श दी/6) अभिलेख पर प्रस्तुत एवं प्रदर्शित किया गया है, जो कि अजय फ्लोरे इंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि. के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किया गया था, जहाँ से स्व-लोडिंग मोबाइल कंक्रीट मिक्सर-एग्रो2000 की खरीद की गई थी। उक्त कर चालान में निम्नलिखित विवरण एवं विनिर्देश अंकित हैं, जो सुसंगत हैं और नीचे उद्धृत किए जाते हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"एग्रो 2000-II स्व-लोडिंग मोबाइल कंक्रीट मिक्सर-ए.आर..जी.ओ 2000

चेसिस संख्या: एग्रो-2008-एए-280

एम/सी क्रमांक: ए एफ-280

इंजन क्रमांक: 5433/एओ 5152"

(11) बीमा पॉलिसी अभिलेख पर प्रस्तुत एवं प्रदर्शित की गई है, जिसमें पॉलिसी अनुसूची (प्रदर्श दी/5) में वस्तु का विवरण, पहचान संख्या, निर्माणकर्ता तथा निर्माण वर्ष का उल्लेख है, जो सुसंगत हैं और नीचे उद्धृत किए जाते हैं:

"स्व-लोडिंग मोबाइल कंक्रीट इंजन क्रमांक: एजेएएक्स 2008
एस 433/ए 05152"

(12) दुर्घटना कारित करने वाले वाहन (स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन) को तृतीय पक्ष जोखिम हेतु बीमित किया गया था (बीमित मशीनों पर लागू उच्चतम अधिभार के साथ) । इस दस्तावेज़ को सिद्ध करने हेतु स्वामी ने स्वयं तथा श्री सुनील ढेलवा (अना.सा. 3), वरिष्ठ सहायक, बीमा कंपनी, का परीक्षण कराया, जिन्होंने दावा अधिकरण के समक्ष यह साक्ष्य दिया कि पॉलिसी (प्रदर्श दी/5)

उनकी कंपनी द्वारा जारी की गई थी तथा उक्त मशीन को चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

(13) इस प्रकार, कर चालान (प्रदर्श दी/6) सह-पठित, बीमा पॉलिसी (प्रदर्श दी/5) के अवलोकन से, जैसा कि वाहन के स्वामी तथा बीमा कंपनी के साक्षी द्वारा सिद्ध किया गया है, यह प्रदर्शित करता है कि उक्त मशीन, जो अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व में है तथा अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा बीमित है, एक स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन है, जो 1989 के नियमों के खंड 2(सीए) में परिभाषित 'निर्माण उपकरण यान' की परिधि में आती है, और इस प्रकार 1989 के नियमों के खंड 2(एच) के अर्थ में यह एक 'गैर-परिवहन यान' है। दावा अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन (स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन) एक निर्माण उपकरण यान तथा गैर-परिवहन यान है, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित है तथा उसमें किसी प्रकार की अवैधता नहीं है। अतः मैं दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित उक्त निष्कर्षों की पुष्टि करता हूँ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) चूँकि प्रश्नगत वाहन मोटर यान अधिनियम, 1988 के अर्थ में 'निर्माण उपकरण वाहन' है, अतः दायित्व विधिवत् रूप से अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर थोंपा गया है।

(15) जहाँ तक अपीलार्थी/बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अगले तर्क का संबंध है, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 175 सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निषिद्ध करती है, जो इस प्रकार है–

"175. **सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निषेध**– जहाँ किसी क्षेत्र के लिए कोई दावा अधिकरण गठित किया गया है, वहाँ कोई भी सिविल न्यायालय किसी ऐसे प्रश्न का विचार करने का अधिकार नहीं रखेगा, जो किसी प्रतिकर के दावे से संबंधित होउस क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा ही ऐसे प्रतिकर दावे का न्याय निर्णयन किया जाएगा, और प्रतिकर संबंधी किसी दावे के संबंध में दावा अधिकरण द्वारा की गई या की जाने वाली किसी भी कार्यवाही के संबंध में कोई भी निषेधाज्ञा सिविल न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।"

अतः मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दुर्घटना से संबंधित प्रतिकर के किसी भी दावे का न्याय निर्णयन करने के लिए सक्षम है तथा अधिकरण के गठन के पश्चात सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार निषिद्ध हो जाता है।

(16) वर्तमान प्रकरण में यह पूर्व से ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन(स्व-लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मशीन) एक निर्माण उपकरण यान है, अतः दावा मोटर यान

अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत पोषणीय है तथा इस प्रकार धारा 175, मोटर यान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के कारण सिविल वाद वर्जित है।

(17) उपर्युक्त के आलोक में, मैं दोनों अपीलों–एम.ए.(सी) क्रमांक 519 एवं 520 सन् 2012—में कोई भी औचित्य नहीं पाता हूँ, अतः वे खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज़ किए जाते हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Adv. Astha Sharma

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur